| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./369/2006/बीकानेर<br>भंवरी बनाम जयदेव | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**
**श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य**

**उपस्थित**

श्रीमती रेखा गोयल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1
श्री बद्री प्रसाद, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–2

**निर्णय**

दिनांक 12.01.2021

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थिया मु. भंवरी की ओर से प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर निगराधीन आदेश से प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./369/2006/बीकानेर<br>भंवरी बनाम जयदेव | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | चले आ रहे इन्द्राजात को हटा कर अपना नाम अंकित किये जाने का अनुतोष चाहा, जो धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी बाबत् पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन होने से भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित किया कि विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा उसने मु. गौरा उर्फ गीता पत्नी गौरीशंकर से क्रय की है, जिसका नामान्तरकरण तस्दीक किया गया एवं खसरा गिरदावरी में अंकन किया। ग्राम नत्थूसर के डीकोलोनाइज होने पर जमाबन्दी में स्व. लाधू का ही नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार द्वारा निर्मित जमाबन्दी क्षेत्राधिकार के बाहर होकर नल एण्ड वोयड है। प्रार्थनापत्र में विवादित भूमि में से विशिष्ट भूमि जो उसने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित की है, को उसके खातेदारी में दर्ज कराने का अनुतोष प्रार्थनापत्र के माध्यम से चाहा गया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय को उक्त प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह देखना होगा कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा वर्णित तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की निष्पादक गौरा उर्फ गीता कौन है? उसका विवादित भूमि से क्या सम्बन्ध है? अगर उसका विवादित भूमि से सम्बन्ध है तो उसमें उसका कितना हक–हिस्सा है? तथा अगर उसका हिस्सा है भी तो क्या बिना विभाजन विशिष्ठ भू–भाग का बेचान करने की अधिकारिता रखी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों कर निर्धारण उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद के माध्यम से की जा सकती है तथा पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन होने से अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./369/2006/बीकानेर<br>भंवरी बनाम जयदेव | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

तथ्यों की अनदेखी करते हुए आक्षेपित आदेश से प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त येाग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2005 को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र को खारिज किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार जयदेव ने वर्ष 1986 में ही उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय कर ली थी तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उसका नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका था तो उस प्रविष्टि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन कर दी गयी, जो धारा 136भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र के माध्यम से दुरूस्त की जा सकती है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को निर्णीत करना उचित समझते है। प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी भंवरी देवी को देहान्त हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार पूनमचन्द एवं सुशीला है, जिन्हें मृतक प्रार्थी के स्थान पर प्रार्थीगण के

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./369/2006/बीकानेर<br>भंवरी बनाम जयदेव | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | रूप में पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मृतक प्रार्थी भंवरी देवी के वारिसान को प्रार्थीगण के रूप में रिकार्ड पर लिया जाता है।<br><br>पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थिया मु. भंवरी की ओर से प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर निगराधीन आदेश से यह मानते हुए कि लैण्ड रिकार्ड आफिसर की हैसियत से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।<br><br>जहां तक विवादित आराजी बाबत् उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद के विचाराधीन होने का प्रश्न है, उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष विवादित आराजी बाबत् वाद संख्या 114/2003 बनवानी भंवरी बनाम जेठूराम वगैराह केवल मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत विचाराधीन है, जिसमें विवादित आराजी बाबत् स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाना है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित अनुसार एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 जयदेव ने मु0 गौरा पत्नी गौरीशंकर द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 6–2–1988 से विवादित आराजी में निहित उसका 1/3 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./369/2006/बीकानेर<br>भंवरी बनाम जयदेव | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

हिस्सा क्रय कर लिया, जिसके आधार पर क्रेता अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 12–07–1988 को स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज हो चुका था। तत्पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा विवादित आराजी को पुनः विक्रेता के नाम दर्ज कर दिया, जिसे दुरूस्त कराने का प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( सुनील कुमार शर्मा )**
**सदस्य**